



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

Website-<http://pwd.uk.gov.in>E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 1142/115 सा0प्र0-प्रकीर्ण/2019

दिनांक- 26 /11 /2019

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्र संख्या-676/8(195)सा0प्र0-प्रकीर्ण/2018 दिनांक-06.07.2018 द्वारा मैसर्स उत्तरांचल इंजीनियर्स, (प्रो0-श्री श्याम कुमार सिंह), निवासी-नेहरू मार्ग प्रगति विहार ऋषिकेश, जिला-देहरादून का लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में यॉत्रिक कार्यों हेतु ठेकेदारों की सूची श्रेणी 'ए' में पंजीकरणदिनांक-30.06.2021 तक किया गया था। पंजीकरण नियमावली के अनुसार यॉत्रिक कार्यों हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है जो कि तत्समय आपके द्वारा पंजीकरण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या-886/115सा0प्र0-प्रकीर्ण/2019 दिनांक-29.08.2019 से परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्राप्त के 01 माह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आपको पत्र लिखा गया, परन्तु समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आपके द्वारा परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या-1005/115सा0प्र0-प्रकीर्ण/2019 दिनांक-04.10.2019 द्वारा चाही गयी सूचना एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया किन्तु आपके द्वारा उक्त पत्रों के क्रम में कोई भी प्रतिउत्तर आतिथि तक भी इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः इस कार्यालय के वर्णित पत्रों के सन्दर्भ में परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत न किये जाने पर मैसर्स उत्तरांचल इंजीनियर्स, (प्रो0-श्री श्याम कुमार सिंह), का इस कार्यालय के पत्र संख्या-676/8(195)सा0प्र0-प्रकीर्ण/2018 दिनांक-06.07.2018 से लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत यॉत्रिक कार्यों हेतु श्रेणी 'ए' में किये गये पंजीकृत कर पंजीकरण संख्या- AME0171718 को वर्तमान में लागू तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या-2365/एम0-5/23 एम0एन0-7-41 एम0एस0ए0/1954 दिनांक-24.09.1982 द्वारा जारी पंजीकरण नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

IT head

हो/-
(इं0 अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता(मु0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर- I/ II, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0 यू0/ए0डी0बी0(आई0टी0), लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोड़ा/।

5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,वां वृत्त, लो0नि0वि0,को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश से अपने अधीनस्थ खण्डों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

6. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल, को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

पंजीकृत

4. मैसर्स उत्तरांचल इंजीनियर्स, (प्रो0-श्री श्याम कुमार सिंह), निवासी-नेहरू मार्ग प्रगति विहार ऋषिकेश, जिला-देहरादून

5. पत्रावली संख्या-8(195) सा0प्र0-प्रकीर्ण/2019 हेतु।

मुख्य अभियन्ता(मु0)